उत्तराखण्ड सरकार

ईमेल

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135–2669415, फैक्स : 2669384

पत्रांक : 3909/6–8/2022–23(एफआरएस–से.अ.)/ दिनांक अगस्त, 28 2023.

सेवा में,

निदेशक,
उत्तराखण्ड शासन,
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
(आई.टी.डी.ए.)देहरादून।

विषयः– **अनुसूचित जाति की अनूसूची के कमांक 64 पर अंकित "शिल्पकार जाति" के अन्तर्गत आने वाली उप जातियों को "शिल्पकार जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मा0मुख्यमंत्री पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के कम में अवगत कराया गया है कि अपणि सरकार पोर्टल में कुछ जातियॉ, जैसे–**कोली जाति** (अनुसूचित जाति) उपलब्ध नहीं है,जिससे कोली जाति से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहे हैं।

निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी से इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की गई। निदेशक समाज कल्याण द्वारा अधिसूचना संख्या **3730/17–1, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013**, संशोधित अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 30 जनवरी, 2014 व संख्या 531 दिनांक 21 फरवरी, 2014 की प्रति परिषद् को उपलब्ध करायी गई। प्राप्त आख्यानुसार उत्तराखण्ड हेतु निर्गत अनुसूचित जातियों की **अनुसूची 1950 के कमांक 64** पर अंकित **शिल्पकार** जाति के अन्तर्गत आने वाली **38 उप जातियों से संबंधित** अधिसूचना संख्या **3730/17–1, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013** के **कमांक 24** पर **कोली जाति** सम्मिलित है। इसके अलावा संशोधित अधिसूचना संख्या 259 दिनांक 30 जनवरी, 2014 व संख्या 531 दिनांक 21 फरवरी, 2014 में भी शिल्कार जाति के अन्तर्गत **कमांक–39 से 48** पर अंकित उप जातियॉ सम्मिलित की गई हैं।

अतः उत्तराखण्ड राज्य हेतु निर्गत अनुसूचित जातियों की अनुसूची, 1950 के **कमांक 64** पर अंकित **शिल्पकार** जाति के अन्तर्गत आने वाली कुल **48** उप जातियों से सम्बन्धित उपरोक्त वर्णित तीनों अधिसूचनाओं को **अपणि सरकार पोर्टल** पर अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि उक्त उप जाति के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों/आवेदकों को अधिसूचनाओं के तहत नियमानुसार अनुसूचित जाति के अन्तर्गत **शिल्पकार** जाति का प्रमाण पत्र निर्गत हो सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव
28.8.23

संख्या एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–सचिव, उत्तराखण्ड शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, देहरादून।
2–अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व अनुभाग–1,देहरादून।
3–समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– गार्ड फाईल/विभागीय बेवसाईट।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद।

Ru.17/28/EV6128765781N

प्र. 18 क्रमांक 2010 दि. 28-8-23

(1469)

मेल / पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

सेवा में,

स्टाफ ऑफिसर,
राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड,
रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून।

RO
28/8

FRC कार्ड पर कार्यवाही की गई है
RO

पत्रांक 1540/ स0क0 / जाति / 2023–24 दिनांक 22 अगस्त, 2023

विषय– कोली जाति को अनुसूचित जाति के अन्तर्गत शिल्पकार जाति व सिक्ख सैनी जाति को अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अपने पत्र सं0– 3630 / 6–8 / (2)से.अ. / एफआर.एस, दिनांक 11 अगस्त, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे है, किन्तु कुछ जातियॉ जैसे कोली (अनुसूचित जाति) एवं सिक्ख सैनी जातियॉ (अन्य पिछडा वर्ग) अनुसूचित जातियों की अनुसूची / अन्य पिछडा वर्ग की अनुसूची में अंकित न होने से उक्त जाति के प्रमाण पत्र निर्गत नही हो पा रहें है। तत्कम में सुसंगत अधिसूचनाओं की प्रति अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु परिषद को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई हैं।

1– उक्त के कम में अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–01 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 1118 दिनांक 02 अप्रैल, 2013 के द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण शर्ते निर्धारित की गई है, जिसमें बिन्दु सं0–01 में अनुसूचित जाति हेतु उत्तर प्रदेश अधिनियम पुर्नगठन 2000 की अनुसूची–05 में विनिर्दिष्ट जातियों के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है तथा सूची संलग्नक–01 पर दर्शित हैं। शासनादेश के संलग्नक–01 पर दर्शित सूची के कमांक 64 पर शिल्पकार जाति अंकित है **(छाया प्रति संलग्न)।**

2– मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर सिविल मिस रिट पिटीशन सं0–2458 / एम.एस. / 2013 के कम में शिल्पकार जाति के सम्बन्ध में भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 के भाग–24 उत्तराचंल के कमांक–64 पर अंकित शिल्पकार जाति के अधीन 38 उपजातियों को सम्मिलित किया गया है। शिल्पकार जाति के अधीन सम्मिलित उपजातियों में कमांक–24 पर अंकित कोली जाति को भी सम्मिलित किया गया है **(छाया प्रति संलग्न)।**

3– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–01 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0– 1118 दिनांक 02 अप्रैल, 2013 के द्वारा राज्य में अन्य पिछडा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण शर्ते निर्धारित की गई है, जिसमें बिन्दु सं0–02 में अन्य पिछडा वर्ग हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडे वगों के लिए आरक्षण) अधिनियम–1994 के अन्तर्गत 13 मार्च 1994 तथा उनके पश्चात निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछडी जातियों / वर्गो के व्यक्तियों को ही अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसकी सूची संलग्नक–02 पर दर्शित हैं। शासनादेश में विनिर्दिष्ट जातियों के मूल स्वरूप के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है। शासनादेश में विहित एवं विनिर्दिष्ट पृथक–पृथक जातियों को एक दूसरे में सम्मिलित / संयुक्त नहीं किया जा सकता है। शासनादेश में संशोधन / परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार शासन में निहित है। **(छाया प्रति बिन्दु–1 में संलग्न)।**

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया

22/8/23

(कमलेश भण्डारी)
मुख्य वित्त नियत्रंक,
कृते निदेशक।

संख्या– 1118 /XVII-1/2013-01(20)/2013

प्रेषक,

एस0 राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त कुमाऊँ / गढ़वाल।
4. सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग–01. देहरादून: दिनांक 02 अप्रैल, 2013

विषय :राज्य में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के लिए पात्रता निर्धारण की शर्तों के संबंध में आवश्यक निर्देश।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या–124 / 2011 अजय कुमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य तथा इस रिट याचिका से सम्बद्ध 12 अन्य रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2012 के अनुसार निम्न निर्देश दिए जाते हैं–

1. अनुसूचित जाति (SC) हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की अनुसूची–5 तथा अनुसूचित जनजाति (ST) हेतु इस अधिनियम की अनुसूची–6 में विनिर्दिष्ट जातियों के व्यक्तियों को ही अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा (सूची संलग्नक–1 पर दर्शित है)।

2. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत 23 मार्च,1994 तथा उसके पश्चात् निर्गत अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट पिछड़ी जातियों / वर्गों के व्यक्तियों को ही अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाएगा (सूची संलग्नक–2 पर दर्शित है)।

3. अविभाजित उत्तर प्रदेश के SC, ST तथा OBC के व्यक्तियों को जाति प्रमाण–पत्र तभी निर्गत किया जाएगा, जब वे 09 नवम्बर 2000 या उससे पूर्व उत्तराखण्ड राज्य के किसी भाग के स्थायी निवासी (Permanent Resident) हों।

4. स्थायी निवासी (Permanent Resident) की परिभाषा तथा उसके निर्धारण के सम्बन्ध में निम्न निर्देश दिए जाते हैं:–
   (i) स्थायी निवासी (Permanent Resident) की परिभाषा वही होगी, जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2588 / एक–4 / सा.प्र. / 2001, दिनांक

20 नवम्बर, 2001 में दी गई है। इस शासनादेश में 'स्थायी निवास' से सम्बन्धित व्यवस्था जो जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रासंगिक है, निम्न प्रकार है–

(a) व्यक्ति भारत का नागरिक हो, तथा

(b) व्यक्ति का उत्तराखण्ड में 'स्थायी आवास' (Permanent Home) हो। 'स्थायी आवास' (Permanent Home) का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है, जो उत्तराखण्ड में पैतृक रूप से रह रहे हों अथवा जिनका उत्तराखण्ड में पैतृक आवास हो, भले ही वे अपनी आजीविका आदि के कारण प्रदेश के बाहर निवास कर रहा हो।

अथवा

व्यक्ति उत्तराखण्ड में न्यूनतम 15 वर्ष से निवास कर रहा हो।

(ii) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसका जन्म उत्तराखण्ड में 09 नवम्बर, 2000 या उससे पूर्व हुआ हो तथा वह अथवा उसके माता–पिता उक्त प्रस्तर–4(i) की शर्तें पूरी करते हो।

(iii) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसका जन्म उत्तराखण्ड में 09 नवम्बर, 2000 के बाद हुआ हो और उसके माता–पिता उक्त प्रस्तर–4(i) की शर्तें पूरी करते हो।

(iv) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा, जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को स्थायी रूप से आवंटित की गई हों।

(v) 'स्थायी निवासी' में ऐसी पत्नी भी सम्मिलित होगी, जो उत्तराखण्ड के 'स्थायी निवासी' से शादी करने के उपरान्त अपने पति के साथ उत्तराखण्ड में रहती हो।

(vi) 'स्थायी निवासी' में ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसी भाग से उत्तराखण्ड में Migrate होकर उत्तराखण्ड में रह रहा हो और वह प्रस्तर–4 की (i) से (v) तक की किसी भी शर्त को पूरा करता हो।

(vii) जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की दृष्टि से 'स्थायी निवास' (Permanent Resident) ही प्रासंगिक हैं। निवास के सम्बन्ध में अन्य शब्दों जैसे 'निवास करता है' (Resides), 'निवास' (Residence), 'सामान्यतया निवास करता है' (Ordinarily Resides), 'सदभावी निवासी' (Domicile) तथा 'मूल निवासी' (Original Resident) को विचार और उपयोग में नहीं लिया जाये।

5. अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की दशा में यदि किसी जाति/समुदाय को 09 नवम्बर, 2000 के पश्चात् OBC श्रेणी में सम्मिलित किए जाने हेतु अधिसूचना निर्गत हुई है, तो जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तर–4 के अनुसार अधिसूचना की तिथि को वह राज्य का 'स्थायी निवासी' हो।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि जाति प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व स्थायी निवास प्रमाण–पत्र या अन्य कोई प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

7. जाति प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन करते समय आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र दिया जायेगा कि उसके द्वारा तथा अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा किसी अन्य राज्य से जाति प्रमाण–पत्र नहीं लिया गया है और न ही वे भविष्य में अन्य राज्य से जाति प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा तथा वह अथवा उसका परिवार किसी अन्य राज्य में उक्त जाति को अनुमन्य लाभ नहीं ले रहा है।

पृष्ठ - 3 पर

8. इस शासनादेश मे की गयी व्यवस्थायें अविभाजित उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध मे ही लागू होगीं, अर्थात यह शासनादेश अविभाजित उत्तर प्रदेश से वर्तमान मे उत्तराखण्ड मे बस गये व्यक्तियों पर ही लागू होगा।

9. किसी व्यक्ति के कॉडर स्थानान्तरण होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के लिए आवंटित होने पर उसे उत्तराखण्ड में उसी दशा में संबंधित अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा जब वह व्यक्ति उक्त जाति का लाभ उत्तर प्रदेश मे पूर्व से प्राप्त कर रहा हो तथा उत्तराखण्ड में उक्त जाति अधिसूचित हो।

10. पूर्व में उत्तराखण्ड शासन के विभिन्न विभागो द्वारा निर्गत किए गए समस्त शासनादेश/परिपत्र/अधिसूचना आदि में इस शासनादेश मे की गई व्यवस्थाओं से असंगत व्यवस्थाएं अतिक्रमित हो जाएगीं।

11. यह शासनादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

12. इस शासनादेश के सभी प्राविधान मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दाखिल स्पेशल अपील संख्या-296/2012 त्रिवेन्द्र सिंह पवार बनाम राज्य व अन्य तथा स्पेशल अपील संख्या-420/2012 रवीन्द्र जुगरान बनाम राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संख्याः- 1118 (1)/XVII-1/2013-01(20)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव-मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव

संलग्न सूची-1

THE FIFTH SCHEDULE

(See Section 24)

AMENDMENT OF THE CONSTITUTION (SCHEDULED CASTES) ORDER, 1950

In the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950,—

(i) in paragraph 2, for the figures "XXIII", the figures "XXIV" shall be substituted;

(ii) in the Schedule, after Part XXIII, the following shall be inserted, namely,—

"PART XXIV—Uttaranchal

1. Agariya
2. Badhik
3. Badi
4. Baheliya
5. Baiga
6. Baiswar
7. Bajaniya
8. Bajgi
9. Balhar
10. Balai
11. Balmiki
12. Bangali
13. Banmanus
14. Bansphor
15. Barwar
16. Basor
17. Bawariya
18. Beldar
19. Beriya
20. Bhantu
21. Bhuiya
22. Bhuyar
23. Boria
24. Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava
25. Chero
26. Dabgar
27. Dhangar
28. Dhanuk
29. Dharkar
30. Dhobi
31. Dom
32. Domar
33. Dusadh
34. Dharmi
35. Dhariya
36. Gond
37. Gwal
38. Habura
39. Hari
40. Hela
41. Kalabaz
42. Kanjar
43. Kapariya
44. Karwal
45. Kharaita
46. Kharwar (excluding Vanwasi)

47. Khatik
48. Kharot
49. Kol
50. Kori
51. Korwa
52. Lalbegi
53. Majhwar
54. Mazhabi
55. Musahar
56. Nat
57. Pankha
58. Parahiya
59. Pasi, Tarmali
60. Patari
61. Saharya
62. Sanauriya
63. Sansiya
64. Shilpkar
65. Turaiha.''

THE SIXTH SCHEDULE

(*See* Section 25)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER, 1950

In the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950,—

(1) in paragraph 2, for the figures "XX", the figures "XXI" shall be substituted;

(2) in the Schedule, after Part XX, the following Part shall be inserted, namely —

"PART XXI—Uttaranchal

1. Bhotia.
2. Buksa.
3. Jannsari.
4. Raji.
5. Tharu.".

THE SEVENTH SCHEDULE

(*See* Section 47)

LIST OF FUNDS

1. Depreciation Reserve Fund—Irrigation.
2. Depreciation Reserve Fund—Government Press.
3. Depreciation Reserve Fund—Precision Instrument Factory.

संलग्न (ग्रुप)-2

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 की अनुसूची -(ख)- में विनिर्दिष्ट 84 प्रविष्टियों में अन्य पिछड़ी जातियों/वर्गों की अधिसूचना सं0 371/XXXI(2)/2019 दिनांक 22-[illegible] द्वारा पुनर्गठित अनुसूची

अनुसूची – 1
(देखिए [illegible] 2(ख))

क्रमसं0	मूल जाति	उपजाति
1	2	3
1.	अहीर	अहीर, यादव, ग्वाला, यदुवंशीय
2.	अरख	अरख, अर्कवंशीय
3.	काछी	काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य
4.	कहार	कहार, कश्यप
5.	[illegible]	[illegible]
6.	किसान	
7.	कोइरी	
8.	कुम्हार	
9.	कुर्मी	कुरमार, प्रजापति
	कुर्मी-सैथवार	कुर्मी, [illegible]
10.	कम्बोज	
11.	कसगर	
12.	कुजड़ा या राइन	
13.	गोसाई	
14.	गूजर	
15.	गड़ेरिया	
16.	गद्दी	गड़ेरिया, पाल, बघेल
17.	गिरि	गद्दी, धोबी
18.	चिकवा (कसाब)	चिकवा, कसाब, कुरैशी, [illegible]
19.	छीपी	छीपी, छीपा
20.	जोगी	
21.	झोजा	
22.	दफाली	
23.	तमोली	
24.	तेली	तमोली, बरई, चौरसिया
25.	दर्जी	तेली, साहनी, रोशनगर, साहू, सैनिगार, [illegible]
		दर्जी, इदरीसी, काकुस्थ

क्र0स0	मूल जाति	उपजाति
1	2	3
	26. धीवर	
	27. नक्काल	
	28. नट [illegible]	
	29. नायक	
	30. फकीर	
	31. बजारा	
	32. बढई	बजारा रकी मुकेरी और पुकरानी
	33. कारी	[illegible]
	34. बरगा	
	35. बिन्द	
	36. बियार	
	37. भर	
	38. भुजी या भड़भूजा	39. राजभर
	39. भठियारा	भुजी या भड़भूजा, भूज कादू, कशीधन
	40. माली, सैनी	
	41. मनिहार	मनिहार, कचेर, लखेरा
	42. मुराव या मुराई	मुराव या मुराई, कोरी
	43. गोंमेरा (अन्सारी)	
	44. मिरासी	
	45. मुस्लिम कायस्थ	
	46. नददाफ (धुनिया), मन्सूरी	नददाफ (धुनिया), मन्सूरी, कन्डेरे, [illegible]
	47. मारछा	
	48. रंगरेज	रंगरेज, रंगवा
	49. लोधा, लोधा, लोधी, लोट, लोधी– राजपूत	
	50. लोहार	लोहार, सैफी
	51. लोनिया	लोनिया, लोनिया, पोले, ठाकुर, लोनिया, [illegible]
	52. सोनार	सोनार, सुनार, स्वर्णकार

उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–01,
संख्या–3730/XVII-1/2013-13(45)/2013,
देहरादून, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013.

अधिसूचना

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या–2458/एम0एस0/2013 में समाज विकास एवं कल्याण समिति बनाम राज्य व अन्य में याची द्वारा यह अनुतोष चाहा गया कि–

a) to issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent not to stop issuance of the scheduled caste certificates to the scheduled caste/Shilpkars of the (sub) caste Koli.

b) to issue a writ order or direction in the nature of mandamus directing the respondent to keep continue issuing the scheduled caste certificates to the persons/Shilpkars of the sub caste Koli.

c) to issue any other writ order or direction which this Hon'ble Court may deem fit and proper in he circumstances of the present case.

d) to allow this writ petition and award the cost of it in favour of the petitioners.

उत्तराखण्ड में निवासरत शिल्पकार जाति के लोगों की अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में प्रशासनिक स्तर (यानि जिला एवं तहसील स्तर) पर कठिनाई आ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि शासनादेश के क्रम संख्या 64 में शिल्पकार जाति के श्रेणी दर्शाया गया है, उसमें सम्मिलित विभिन्न जातियों का स्पष्ट निर्धारण नहीं किया गया जबकि उत्तराखण्ड में शिल्पकार नाम की अलग से कोई जाति न होकर "शिल्पकार" जातियों का एक समूह है।

शिल्पकार जाति में सम्मिलित उपजातियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र जारी करने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण के लिए शासन स्तर से दिशा निर्देश निर्गत करने हेतु समय–समय पर सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों जैसे श्री हरि सिंह, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड कोली समाज विकास एवं कल्याण समिति (रजिस्टर्ड), देहरादून एवं श्री हीरालाल टम्टा, महासचिव, प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति, पौड़ी–गढ़वाल, उत्तराखण्ड, तत्कालीन जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों के माध्यम से शासन से मांग की जाती रही है। तत्कालीन प्रमुख सचिव उत्तरांचल सचिवालय द्वारा समस्त जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों (कुमायूं/गढ़वाल) को निर्देशित किया गया कि वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार दस्तकारी में संलग्न जातियों का एक समूह है जैसे लोहार, टम्टा, औजी, बेड़ा, इत्यादि।

अतः पूर्व में इस समुदाय की जो व्याख्या दी गई है, वही उपयुक्त मानी जाय।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश द्वारा अप्रैल, 1986 में शिल्पकार जाति की अन्य जातियों के नाम का उल्लेख किया गया है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा शासन के पत्र संख्या–148, दिनांक 14.02.2008 के द्वारा उत्तराखण्ड के गढ़वाल/कुमायूं मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में मूलतः निवास करने वाले बढ़ई, लोहार, सोनार, दर्जी, गद्दी केवट, धुनार, ताम्रकार (टम्टा), मिस्त्री आदि का काम करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) का प्रमाण–पत्र जारी करने के सम्बन्ध में शिल्पकारों की सभी उपजातियों को उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने का अनुरोध शासन से किया गया है।

मा0 लोकायुक्त उत्तराखण्ड देहरादून में दायर परिवाद संख्या–284 वर्ष 2005 शिकायतकर्ता श्री बृजमोहन पुत्र श्री केवल राम, ग्राम झण्डीचौड़, कोटद्वार, जिला–पौड़ी के प्रतिवेदन (45/2007) में स्पष्ट दिशा निर्देश दिये गये हैं कि पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत लोहार, सुनार, बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी आदि पूर्व से अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की श्रेणी में आने से इन वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति (शिल्पकार) की सभी सुविधायें शासन द्वारा दी जा रही है। ये जातियां मैदानी क्षेत्र की न होकर पर्वतीय मूल की रही है तथा पर्वतीय मूल की जातियाँ पूर्व से अनुसूचित जाति में मानी गई है।

अतः उक्तानुसार ही उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट की गई जातियों को ही जाति प्रमाण–पत्र जारी किये जायें।

मा0 लोकायुक्त द्वारा दिनांक 14.02.2006 में तत्कालीन अपर सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपस्थित होकर उनके द्वारा वर्ष 1931 में देश में की गई जनगणना के सम्बन्ध में "Census of India" 1931 Part I Report, "United Province of Agra and Outh" Anthropological Survey of India द्वारा प्रकाशित पुस्तक "People of India" Part 3 व The Himalayan Gazetteer" की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, यह कहा गया कि लोहार, बढ़ई, मिस्त्री, दर्जी एवं टम्टा आदि जातियाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आती है। लोकायुक्त द्वारा यह इंगित किया गया कि मेरे समक्ष अन्य संगठनों, उत्तराखण्ड कोली समाज व प्रादेशिक शिल्पकार कल्याण समिति पौड़ी गढ़वाल द्वारा भी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि बढ़ई, लोहार, सुनार, बसेरा, ठठेरा, ताम्रकार इत्यादि शिल्पकारों की उपजातियां उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में सदैव से मानी जाती रही हैं और उनके साथ सवर्ण जातियों द्वारा छुआ–छूत का बरताव किया जाता है।

अतः उचित होता कि प्रशासन इस विषय में समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से मार्गदर्शन लेने के पश्चात सुस्पष्ट नीति निर्धारित करता ताकि पारित आदेशों में जो भ्रान्तियां, विसंगतियां उत्पन्न हुई है, उनका निराकरण सम्भव हो सकता। मा0 लोकायुक्त द्वारा निम्न संस्तुतियां की –

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं प्रमख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून भारत सरकार के समाज कल्याण, मंत्रालय/अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार से विचार विमर्श करने के पश्चात यह निर्णय लें कि क्या उत्तराखण्ड प्रदेश के गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में निवास करने वाली अठपहरिया, औजी, बढ़ई, बेड़ा, भाट, कुम्हार, कोली, लोहार, रूडिया, सुनार, पुहसी, जोगी, सोनार, छीपि,

चुनरिया आदि जातियों को शिल्पकार की उप जातियां मानकर अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र देना उचित हैं ?

यह अपेक्षा की गयी है कि शासन इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परतंत्र भारत में सन् 1921 की जनगणना की रिपोर्ट Vol XVI pro+II 1921 के पृष्ठ सं. 228 की TABLE XIII में Detail of the sub-castes of Hill depressed classes का उल्लेख है, जिसमें कोली, टम्टा, लौहार, अगरी तिरूवा आदि विभिन्न जातियों का समूह है जो वर्तमान में शिल्पकार जातियों के नाम से जानी जाती हैं।

सन् 1931 की जनगणना "CENSUS OF INDIA, 1931 UNITED PROVINCES OF AGRA AND OUDH, VOL. XVIII, PART I-REPORT BY A.C. TURNER, M.B.E., I.C.S., SUPERINTENDENT, CENSUS OPERATIONS" के पृष्ठ सं. 553–563 तक कुमाऊँ डिवीजन एवं टिहरी गढ़वाल राज्य, जिसे अब गढ़वाल मण्डल के नाम से जाना जाता है, में शिल्पकार जाति का उल्लेख है। इसमें भी उन्हीं जातियों को जिसमें कोली, टम्टा, लौहार, मिस्त्री आदि जातियां सम्मिलित हैं।

सन् 1941 की जनगणना V-TOWNS ARRANGED TERRITORIALLY WITH POPULATION BY COMMUNITIES में शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उप जाति का उल्लेख किया गया है।

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के पत्र संख्या–5-140/07-Estt/(II), दिनांक 04.03.2009 के साथ संलग्न Communities, Segments, Synonyms, Sir Names and Titles Vol.-VIII के पृष्ठ–1769 से 1772 तक शिल्पकार की उपजातियों का स्पष्ट विवरण दिया गया है।

"CENSUS OF INDIA, 1961 Vol.-I Part-V-B(iii) showing consolidated statement of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Denitrified communities and other communities of similar status in different status and census starting from 1921 by A.Mitra, ICS के पृष्ठ–86, 88, 90, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114 में भी शिल्पकारों की इन जातियों का स्पष्ट विवरणे दिया गया है।

वर्ष 1961 की जनगणना से पूर्व जनगणना प्रगणकों को दिए गए निर्देशों में भी शिल्पकारों की उपजातियों का पर्यायवाची एवं वर्गीय नाम सहित स्पष्ट वर्गीकरण दिया गया है, जो कि Publication No. P.S.U.P.A.P Census 1960, 143000 में वर्णित है।

स्वतंत्र भारत के अखण्डित उत्तर प्रदेश में भी Publication No. U.P.-A.P.-1 CENSUS-1960-1,43,800 इन जातियों को भी शिल्पकार घोषित किया, तदनुसार इन उपजातियों का प्रमाणपत्र शिल्पकार नाम से समय–समय पर जारी हो रहे हैं, जिसमें कोली जाति भी सम्मिलित है।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के निदेशालय, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक–2/23–68/35/जनजाति (ह.क.) लखनऊ दिनांकित 07 अप्रैल, 86 में भी शिल्पकार जाति की उपजातियों का खुलासा करते हुए आदेश पारित किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून जो तद्समय पर्वतीय मंत्रालय के अधीन था, द्वारा भी दिनांक 24.04.1996 को श्री एस.एस. पांगती, प्रमुख सचिव द्वारा आदेश संख्या–223/उ.ख.दे./96 में भी भ्रान्तियों को दूर करने के लिए समस्त जिलाधिकारी गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल को यह लिखकर दिया कि "वास्तव में शिल्पकार अनेक प्रकार की दस्तकारी में संलग्न जातियों का समूह है, जैसे लौहार, रूडिया, टम्टा, औजी, बेड़ा इत्यादि।"

शासनादेश संख्या–12025/1/2008–एस.सी.डी. (आर.एल.सैल) भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–1 दिनांकित 31.03.2008 में उल्लेख है कि शिल्पकार जाति उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति की सूची में क्रम सं. 64 पर अधिसूचित है। अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जारी करने तथा सत्यापन का कार्य सम्बन्धित राज्य सरकार का है। अतः राज्य सरकार अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र जारी करते समय यह सुनिश्चित करे कि अधिसूचित जातियों के नाम से ही अनुसूचित जाति के प्रमाणपत्र निर्गत हों। अर्थात भारत सरकार भी 2008 से यह चाह रही है कि शिल्पकार जातियों की स्थिति स्पष्ट की जाए, इसलिए भी उपरोक्त शासनादेश के क्रमांक–64–शिल्पकार के सम्मुख उपजातियों को खोला जाना आवश्यक है।

चूंकि उत्तराखण्ड सरकार ने मा. उच्च न्यायालय में रिट संख्या–26/2012 में भी कोली जाति को शिल्पकार मानते हुए सरकार का मत मा. उच्च न्यायालय में रखा है, अतः वर्तमान भ्रान्तियों को दूर करने के उद्देश्य से संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 के भाग–24–उत्तरांचल के क्रमांक–64 पर अंकित शिल्पकार जाति के अधीन निम्नलिखित उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है–

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति/पर्यायवाची नाम
1	आगरी या अगरी
2	औजी या बाजगी, ढोली, दास, दर्जी (जो अनुसूचित जाति के हैं)
3	अटपहरिया
4	बादी या बेड़ा
5	बेरी, बैरी
6	बखरिया
7	बढ़ई (जो अनुसूचित जाति के हैं)
8	बोरा (जो अनुसूचित जाति के हैं)
9	भाट
10	भूल, तेली (जो अनुसूचित जाति के हैं)
11	चनेला, चन्याल
12	चुनेरा, चुनियारा
13	डालिया
14	धलोटी
15	धनिक

उत्तराखण्ड शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–01,
संख्या–259 /XVII-1/2014-13(45)/2013
देहरादून, दिनांक 30 जनवरी, 2014

अधिसूचना (संशोधित)

[illegible] में निवासरत शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उपजातियों को सम्मिलित किये जाने विषयक [illegible] –3730/XVII-1/2013-13(45)/2013 दिनांक 16–12–2013 के क्रम में उक्त अधिसूचना में वर्णित [illegible] क्रमांक–38 के पश्चात् निम्न उपजातियों को सम्मिलित किया जाता है:–

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति / पर्यायवाची नाम
39	आर्य–शिल्पकार 64
40	पार्की
41	सांगडी
42	धुनार
43	केवट – 5
44	डोम
45	मोर
46	पोरी, पम्मी
47	दमाई

2. वर्णित जाति के व्यक्तियों को जारी होने वाला अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र "शिल्पकार" जाति के नाम से जारी किया जायेगा।
3. शेष शर्तें एवं प्राविधान अधिसूचना संख्या–3730/XVII-1/2013-13(45)/2013 दिनांक 16–12–2013 के अनुरूप यथावत रहेंगे।

(एस. राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या–259 (1)/XVII-1/2014-13(45)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. निजी सचिव–महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–माननीय समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव–समस्त मा0मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव–मुख्य सचिव / अपर प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
8. समस्त उपजिलाधिकारी / तहसीलदार उत्तराखण्ड।
9. [illegible] मुद्रणालय, रुड़की जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को [illegible] में प्रकाशित करते हुए मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी.आर. रमेश)
अपर सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–01

संख्या : 531/XVII–1/2014–13(45)/2013

देहरादून : दिनांक 21 फरवरी, 2014

अधिसूचना (संशोधित)

[illegible] में निवासरत शिल्पकार जाति के अन्तर्गत उपजातियों को सम्मिलित किये जाने विषयक अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013 दिनांक 16–12–2013 के क्रम में वर्णित [illegible] के क्रमांक–38 एवं अधिसूचना सं0 259/XVII–1/2014–13(45)/2013 दिनांक [illegible] के क्रम में अधिसूचना (संशोधित) के क्रमांक 47 के पश्चात् निम्नलिखित को संशोधित [illegible] सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उपर्युक्त अधिसूचना के क्रमांक 47 के पश्चात [illegible] की उपजाति में निम्न उपजाति का सम्मिलित किया जाता है :–

क्रमांक	शिल्पकार जाति की उपजाति/पर्यायवाची नाम
48	लापड

वर्णित जाति के व्यक्तियों को जारी होने वाला अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र शिल्पकार" जाति के नाम से जारी किया जायेगा।

3. अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013 दिनांक 16–12–2013 के क्रमांक 07 में अंकित बढ़ई (जो अनुसूचित जाति के हैं) में "पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित जाति के व्यक्ति जो बढ़ई का कार्य करते हैं" को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4. शेष शर्तें एवं प्राविधान अधिसूचना सं0 3730/XVII–1/2014–13(45)/2013 दिनांक 16–12–2013 के अनुरूप यथावत रहेंगे।

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

संख्या :– 531/XVII-1/-13(45)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव–महामहिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव–मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव–समस्त मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव–मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. [illegible] मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. [illegible]/जिलाधिकारी/तहसीलदार, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद–हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को सरकारी गजट में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित अधिसूचना की 200 प्रतियां इस अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
11. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(बी0आर0 टम्टा)
अपर सचिव।